

भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर

जीईसी परिसर, पुरानी धमतरी रोड, सेजबहार, रायपुर (सी.जी.) 492 015

वेबसाइट: www.iimraipur.ac.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के खंड 4 (1) (बी) के मुताबिक प्रकाशित जानकारी

क्र.सं.	आरटीआई अधिनियम धारा 4 (1) (बी), के उपखंड	विवरण
1	(i)	संगठन का विवरण, संस्थान के कार्य और कर्तव्य
2	(ii)	संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य
3	(iii)	पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
4	(iv)	अपने कार्यों के वितरण के लिए संस्थान द्वारा निर्धारित मानक
5	(v)	संस्थान द्वारा या इसके नियंत्रण या इसके कार्यों का निर्वहन करने के लिए इसके कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले, अधिनियम, नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख
6	(vi)	संस्थान द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे जाने वाले दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण
7	(vii)	संस्थान की नीति के निर्माण या इसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के परामर्श, या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण
8	(viii)	संस्थान के एक भाग के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य के लिए गठित दो या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने बोर्ड, परिषद, समिति या अन्य निकायों का विवरण, और यह कि क्या इन बोर्ड, परिषद, समिति और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों का कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ है।
9	(ix)	संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
10	(x)	प्रत्येक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, इसके नियमों में मुआवजे की व्यवस्था सहित वेतन।
11	(xi)	प्रत्येक विभाग की एजेंसियों को आवंटित बजट, सभी योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट दर्शाते हुए;
12	(xii)	सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है
13	(xiii)	विभाग द्वारा अनुमोदित रियायतों, परमिट या अधिकार प्राप्तकर्ताओं का विवरण
14	(xiv)	विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के संबंध में विवरण, इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचित
15	(xv)	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, पुस्तकालय या पठन कक्ष के कार्य समय सहित, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध है।
16	(xvi)	लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विवरण

1. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी), का उपखंड (i)

संगठन का विवरण, संस्थान के कार्य और कर्तव्य

भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधन 1998) के तहत 2010 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में की गई है। संस्थान नैतिक नेतृत्वकारियों को तैयार करने में विश्वास करता है जो न केवल व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के प्रति प्रतिबद्ध हों बल्कि देश के निर्माण में उनके योगदान के प्रति भी सामाजिक रूप से जागरूक हों और विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन करें। इस संस्थान में छात्र क्लब द्वारा आयोजित गतिविधियां गूंजती रहती है जो अब अपनी गतिविधियों के दायरे का विस्तार कर रहा है और कारपोरेट जगत के दिग्गजों को शामिल कर रहे हैं।

लक्ष्य:

- क्षेत्रीय और राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ वैश्विक दृष्टिकोण वाला एक विश्वस्तरीय संस्थान;
- एक उत्कृष्टतापूर्ण संस्थान, जिसे उत्कृष्ट मूल्य-आधारित गुणवत्ता युक्त शिक्षा, उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान, कार्यकारी शिक्षा, परामर्श और मजबूत कॉर्पोरेट संबंधों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिए भी जाना जाए;
- एक बी-स्कूल, जो आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए समाज, राज्य और राष्ट्र की सेवा करेगा।

कार्य और कर्तव्य:

आईआईएम रायपुर के कार्य और कर्तव्यों में शामिल हैं:

क. स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी)

ख. डॉक्टरल कार्यक्रम

- i. प्रबंधन में अध्येता कार्यक्रम (एफपीएम)
- ii. प्रबंधन में कार्यकारी अध्येता कार्यक्रम (ईएफपीएम)

ग. कैरियर विकास और स्थानन

- i. ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षुता
- ii. अंतिम स्थानन

घ. कार्यकारी शिक्षा एवं परामर्श

- क. कार्यकारी अधिकारियों के लिए सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम (जीएमपीई)
- ख. प्रबंधन विकास कार्यक्रम (मुक्त कार्यक्रम)
- ग. अनुकूलित कंपनी-गत कार्यक्रम
- घ. उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम
- ङ. तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी)

च. परामर्शदात्री सेवाएं


ड. अनुसंधान और प्रकाशन

च. सम्मेलन / सेमिनार / शिखर सम्मेलन आदि

छ. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

उपरोक्त कार्यक्रमों का विवरण www.iimraipur.ac.in पर उपलब्ध है

संगठन चार्ट



2. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी), का उपखंड (ii)

संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य

निदेशक, डीन और सीएओ के अधिकार और कार्य (मानव संसाधन नीति और सेवा नियमों के खंड 4 को देखें)

<http://www.iimraipur.ac.in/pdf/HR%20Policy.pdf>

3. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी), का उपखंड (iii)

पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

शासी मंडल, भा.प्र.सं. रायपुर ने जिम्मेदारियों को पूरा करने हेतु बोर्ड की सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकार प्राप्त समितियां नियुक्त की हैं।

- i. वित्त और लेखा परीक्षा समिति
- ii. परिसर निर्माण समिति
- iii. मानव संसाधन समिति

आईआईएम रायपुर में समितियां

आईआईएम रायपुर को कई आंतरिक समितियों द्वारा प्रशासित / प्रबंधित किया जाता है ऐसी समितियां आवश्यकता के आधार पर निदेशक द्वारा नियुक्त की जाती हैं।

पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल उपरोक्त दिए गए संगठन चार्ट के अनुसार हैं।

4. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी), का उपखंड (iv)

अपने कार्यों के वितरण के लिए संस्थान द्वारा निर्धारित मानक

संस्थान मानव संसाधन नीति में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी / संशोधित सेवा नियमों और आदेशों का पालन करता है।

<http://www.iimraipur.ac.in/pdf/HR%20Policy.pdf>

5. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी), का उपखंड (v)

संस्थान द्वारा या इसके नियंत्रण या इसके कार्यों का निर्वहन करने के लिए इसके कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले, अधिनियम, नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख

भाग I: सामान्य

मानव संसाधन नीति और सेवा नियमों के अलावा, संस्थान समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम / नियम / कार्यालय ज्ञापन / अधिसूचना का पालन करता है।

भाग II: अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए जिन अधिनियम, नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली, संस्थान विशिष्ट अभिलेखों का उपयोग किया जाता है।

संस्थान के कार्यों का निर्वहन करने हेतु प्रयुक्त अधिनियम, नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली, संस्थान विशिष्ट अभिलेख निम्नानुसार हैं।

क्र.सं.	क्षेत्र/विभाग	कार्यों का निर्वहन करने हेतु प्रयुक्त अधिनियम, नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली, संस्थान विशिष्ट अभिलेख
1	प्रवेश	प्रवेश नीति
2	पीजीपी, एफपीएम और ईएफपीएम	पीजीपी निर्देशिका, एफपीएम और ईएफपीएम निर्देशिका
3	वित्त एवं लेखा	जनरल वित्तीय नियम 2005/2017, आयकर अधिनियम 1961/2016, वास्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017, मौलिक नियम और सेवा नियम (एफआरएसआर), ग्रैच्युटी अधिनियम 1972, छुट्टी नकदीकरण नियम, भारतीय विदेश सेवा नियम, एलटीसी, टीए / डीए और केंद्र / राज्य सरकार के अन्य प्रासंगिक नियम। निर्गत कार्यों के लिए निम्नलिखित निर्देश, मैनुअल / रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है: <ul style="list-style-type: none"> आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांत (जीएएपी) संस्थान के शासी मंडल (बीओजी) द्वारा अनुमोदित संस्थान के मानव संसाधन नीति और सेवा नियम। संस्थान की वित्त एवं लेखा परीक्षा समिति / बीओजी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न दिशानिर्देश।
4	आईटी	मानव संसाधन नीति और आईटी समिति मीटिंग कार्यवृत्त
5	कार्यकारी शिक्षा और परामर्श	एमडीपी नीति और एमडीपी समिति के कार्यवृत्त
6	कार्मिक एवं प्रशासन	मानव संसाधन नीति और सेवा नियम मंडल की बैठक के कार्यवृत्त सक्षम प्राधिकारी (निदेशक / सीएओ) द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन समय-समय पर जारी भारत सरकार के अधिनियम / नियम / कार्यालय ज्ञापन / अधिसूचना

7	स्थानन	स्थानन निर्देशिका
8	भंडार एवं खरीद	भारत सरकार की माल खरीद निर्देशिका 2017। निविदा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त
9	छात्र मामले	पीजीपी / एफपीएम / ईएफपीएम मैनुअल, छात्रावास समिति के कार्यवृत्त
10	शोध	शोध निर्देशिका
11	अंतरराष्ट्रीय संबंध	अंतरराष्ट्रीय संबंध निर्देशिका

विवरण www.iimraipur.ac.in के संबंधित अनुभागों पर उपलब्ध हैं।

6. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी), का उपखंड (vi)

संस्थान द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे जाने वाले दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

भाग I: सामान्य

I. सभी के लिए समान दस्तावेज़

- क) संस्थान की वार्षिक आख्या: (<http://www.iimraipur.ac.in/index.php/institute/annual-reports> पर उपलब्ध)
- ख) बजट / वित्तीय प्रतिबंध: (<http://www.iimraipur.ac.in/index.php/institute/annual-reports> पर उपलब्ध)
- ग) लेखा परीक्षा रिपोर्ट: (<http://www.iimraipur.ac.in/index.php/institute/annual-reports> पर उपलब्ध)
- घ) कर्मचारियों की सूची उनके संपर्क नंबरों के सहित (http://www.iimraipur.ac.in/pdf/Directory_IIM_Raipur.pdf पर उपलब्ध)

7. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी), का उपखंड (vii)

संस्थान की नीति के निर्माण या इसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के परामर्श, या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण

मसौदा नीति दस्तावेज और समिति की रिपोर्ट समय-समय पर संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। (www.iimraipur.ac.in)

8. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी), का उपखंड (viii)

संस्थान के एक भाग के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य के लिए गठित दो या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने बोर्ड,

परिषद, समिति या अन्य निकायों का विवरण, और यह कि क्या इन बोर्ड, परिषद, समिति और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों का कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी), का उपखंड (viii) के तहत विभाग द्वारा प्रकाशित जानकारी

क. शासी मंडल एवं उप-समिति

समिति	क्या इन समितियों की बैठक जनता के लिए खुली है	क्या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्ध हैं
शासी मंडल	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन
वित्त एवं लेखा समिति	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन
मानव संसाधन समिति	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन
परिसर निर्माण समिति	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन

ख. इसके अलावा, निदेशक द्वारा समय-समय पर गठित आंतरिक समितियां निम्न हैं: -

समिति	क्या इन समितियों की बैठकें जनता के लिए खुली है	क्या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्ध हैं
संकाय परिषद	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन
प्रवेश समिति	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन
स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी) समिति	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन
कार्यकारी अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपीडब्ल्यूई) समिति	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन
अध्येता कार्यक्रम समिति	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन
शोध एवं प्रकाशन समिति	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन
कार्यकारी शिक्षा एवं परामर्श समिति	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन
पुस्तकालय समिति	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन
सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा (आईटीएस) समिति	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन

स्थानन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन
कॉर्पोरेट संचार समिति	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन
रैगिंग-विरोधी समिति	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन
छात्र मामलों की समिति	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन
आंतरिक लेखा परीक्षा की समन्वय और समीक्षा समिति	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन
आंतरिक शिकायत समिति	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन
निविदा समिति	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन
तकनीकी समिति	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन
स्थानीय खरीद समिति	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन
एससी / एसटी सेल	नहीं	आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के अधीन

9. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी), का उपखंड (ix)

संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

http://www.iimraipur.ac.in/pdf/Directory_IIM_Raipur.pdf

10. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी), का उपखंड (x)

प्रत्येक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, इसके नियमों में मुआवजे की व्यवस्था सहित वेतन।

निदेशक (कार्यकाल अनुसार)

क्र.सं.	नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	वेतनमान	सकल भुगतान प्रति माह 31.05.18 को (रुपये में)
1	प्रो. भारत भास्कर	निदेशक	08-मार्च-17	एच.ए.जी. रु. 80000/- निर्धारित	रु. 240750/-

संकाय (नियमित)

क्र. सं.	नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	वेतनमान	सकल भुगतान प्रति माह 31.05.18 को
----------	-----	----	------------------	---------	----------------------------------

					(रुपये में)
1	प्रो. विनीता सहाय	प्राध्यापक	02-अप्रैल-12	पीबी 4 : 37400-67000 एजीपी 10500/- (7 वीं सीपीसी के अनुसार स्तर -14 ए)	असाधारण अवकाश पर
2	प्रो. संजीव पराशर	प्राध्यापक	01-जून-12	पीबी 4 : 37400-67000 एजीपी 10500/-	रु. 2,15,215/-
3	डॉ. एस के. मित्रा	सह - प्राध्यापक	20-अप्रैल-12	पीबी 4 : 37400-67000 एजीपी 9500/-	रु. 2,12,842/-
4	डॉ. प्रद्युम्न दास	सह - प्राध्यापक	18-जून-12	पीबी 4 : 37400-67000 एजीपी 9500/-	रु. 1,84,051/-
5	डॉ. एम. कन्नादासन	सह - प्राध्यापक	05-अप्रैल-11	पीबी 4 : 37400-67000 एजीपी 9500/-	रु. 1,73,723/-
6	डॉ. सुमीत गुप्ता	सह - प्राध्यापक	23-अक्टू.-12	पीबी 4 : 37400-67000 एजीपी 9500/-	रु. 1,84,051/-
7	डॉ. जागरूक डावरा	सह - प्राध्यापक	03-जून-14	पीबी 4 : 37400-67000 एजीपी 9500/-	रु. 1,73,723/-
8	डॉ. परीक्षित चरण	सह - प्राध्यापक	01-जुलाई-13	पीबी 4 : 37400-67000 एजीपी 9000/-	रु. 1,62,542/-
9	डॉ. सत्यशिबा दास	सह - प्राध्यापक	01-जुलाई-13	पीबी 4 : 37400-67000 एजीपी 9000/-	रु. 1,30,936/-
10	डॉ. पप्पू राजा शेखर सर्मा	सह - प्राध्यापक	12-मार्च-14	पीबी 4 : 37400-67000 एजीपी 9000/-	रु. 1,63,126/-
11	डॉ. अर्चना पराशर	सह - प्राध्यापक	07-अप्रैल-14	पीबी 4 : 37400-67000 एजीपी 9000/-	रु. 1,57,875/-
12	डॉ. विनय गोयल	सह - प्राध्यापक	17-अप्रैल-14	पीबी 4 : 37400-67000 एजीपी 9000	रु. 1,58,155/-
13	डॉ. मनोजीत चट्टोपाध्याय	सह - प्राध्यापक	28-अप्रैल-14	पीबी 4 : 37400-67000 एजीपी 9000/-	रु. 1,57,875/-
14	डा. पंकज सिंह	सह - प्राध्यापक	03-जून-14	पीबी 4 : 37400-67000 एजीपी 9000/-	रु. 1,57,875/-
15	डॉ. रबीन कुमार जाना	सह - प्राध्यापक	23-दिस.-16	पीबी 3 : 15600 - 39100 एजीपी 8000/-	रु. 1,30,936/-
16	डॉ. योगेश चौहान	सह - प्राध्यापक	02-जन.-17	पीबी 3 : 15600 - 39100 एजीपी 8000/-	रु. 1,27,020/-
17	डॉ. गोपाल कुमार	सह - प्राध्यापक	06-जन.-17	पीबी 3 : 15600 - 39100 एजीपी 8000/-	रु. 1,23,239/-
18	डॉ. मोहित गोस्वामी	सह - प्राध्यापक	16-जन.-17	पीबी 3 : 15600 - 39100 एजीपी	रु. 1,23,239/-

				8000/-	
19	डॉ. धनंजय बापट	सह - प्राध्यापक	27-जन.-17	पीबी 4 : 37400-67000 एजीपी 9000/-	रु. 1,73,165/-

संकाय (अनुबंध पर)

क्र.सं.	नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	वेतनमान	सकल भुगतान प्रति माह 24.01.18 को (रुपये में)
1	डॉ सलमान सिद्दीकी अली	सह - प्राध्यापक	01-नवं.-16	समेकित रु. 96976/-	रु. 1,08,288/-
2	डॉ. समर सिंह	सह - प्राध्यापक	07-नवं.-16	समेकित रु. 96976/-	रु. 1,08,288/-
3	डॉ. पायल आनंद	सह - प्राध्यापक	05-दिसं.-16	समेकित रु. 95838/-	रु. 1,08,288/-
4	डॉ. गुंजन तोमर	सह - प्राध्यापक	28-दिसं.-16	समेकित रु. 89298/-	रु. 1,08,288/-
5	डॉ. रश्मि शुक्ला	सह - प्राध्यापक	12-जन.-17	समेकित रु. 88160/-	रु. 1,08,288/-
6	डॉ. ईमान मलिक	सह - प्राध्यापक	12-जन.-17	समेकित रु. 85316/-	रु. 1,08,288/-
7	डॉ. सब्यसाची मोहपात्रा	सह - प्राध्यापक	18-जन.-17	समेकित रु. 88160/-	रु. 1,08,288/-

अधिकारी (अनुबंध पर)

क्र.सं.	नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	वेतनमान	सकल भुगतान प्रति माह 24.01.18 को (रुपये में)
1	कमां. पंकज झा (से.नि.)	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	03-जन.-17	समेकित 1,21,336/-	रु.1,47,642/-

अधिकारी (नियमित)

क्र.सं.	नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	वेतनमान	सकल भुगतान प्रति माह 24.01.18 को (रुपये में)
1	डॉ चंद्रकांता स्वाई	ग्रंथपाल	20-जून-11	पीबी 3 : 15600 - 39100 जीपी 7600/-	रु. 1,08,672/-
2	श्री एच के देबाता	वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी	23-अप्रैल-12	पीबी 3 : 15600 - 39100 जीपी 6600/-	रु. 99,367/-

3	श्री प्रियंका मित्रा	सिस्टम प्रबंधक	21- जुलाई -15	पीबी 3 : 15600 - 39100 जीपी 6600/-	रु. 86,030/-
4	श्री शाजी मथाई	प्रशासनिक अधिकारी (अकादमिक)	03-जून-13	पीबी 3 : 15600 - 39100 जीपी 5400/-	रु. 73,983/-

कर्मचारी (नियमित)

क्र.सं.	नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	वेतनमान	सकल भुगतान प्रति माह 24.01.18 को (रुपये में)
1	श्री ए आर पोनाल	कार्यालय सहायक	26-मार्च-12	पीबी 2 : 9300 - 34800 जीपी 4200/-	रु. 53,373/-
2	श्री पी आर अजित कुमार	निदेशक के सचिव	29-नव.-12	पीबी 2 : 9300 - 34800 जीपी 4200/-	रु. 1,06,688/-
3	श्री एस एन. मंडल	लेखाकार	10-जून-13	पीबी 2 : 9300 - 34800 जीपी 4200/-	रु. 47,647/-
4	श्री देवेन्द्र कुमार सिन्हा	कनिष्ठ अभियंता	12-जून-13	पीबी 2 : 9300 - 34800 जीपी 4200/-	रु. 47,647/-
5	सुश्री शालिनी श्रीवास्तव	वरिष्ठ पुस्तकालय सहायक	29-मई-14	पीबी 2 : 9300 - 34800 जीपी 4200/-	रु. 46,273/-
6	श्री अश्विनी के भारद्वाज	भंडार और खरीद अधिकारी	02-जून-14	पीबी 2 : 9300 - 34800 जीपी 4200/-	रु. 46,273/-
7	श्री घनश्याम सोहानी	कार्यालय सहायक	21- अप्रैल -15	पीबी 2 : 9300 - 34800 जीपी 4200/-	रु.45,010/-
8	श्रीमती लता गोयल	निजी सहायक	29- मई -15	पीबी 2 : 9300 - 34800 जीपी 4200/-	रु. 45,010/-
9	श्री हिरलाल निर्मलाकर	चालक	29- मई -15	पीबी 1 : 5200 - 20200 जीपी 1900/-	रु. 25,175/-
10	श्री बिनाय थंकाचन	निजी सहायक	25- जून -15	पीबी 2 : 9300 - 34800 जीपी 4200/-	रु. 45,010/-

कर्मचारी (अनुबंध पर)

क्र.सं.	नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	वेतनमान	सकल भुगतान प्रति माह 24.01.18 को (रुपये में)
1	श्री के ओ जॉन	सलाहकार	23-जन.-12	समेकित रु. 46,585/-	रु. 51,244/-
2	श्री साकिब अहमद	कनिष्ठ सहायक	03-दिसं.-12	समेकित रु. 27,000/-	रु. 26,129/-
3	सुश्री रैनी अरोरा	कनिष्ठ सहायक	01-मार्च-13	समेकित रु. 27,000/-	रु. 27,000/-
4	सुश्री कावेरी	कनिष्ठ सहायक	20-नवं.-12	समेकित रु. 27,000/-	रु. 27,000/-
5	श्रीमती श्रद्धा सावडेकर	कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक	12-मई-14	समेकित रु. 27,000/-	रु. 27,000/-
6	श्री अजन कुमार वर्मा	कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक	16-अप्रैल-14	समेकित रु. 27,000/-	रु. 22,645/-
7	श्री रंजन कुमार बेहरा	अनुसंधान / शिक्षण सहायक	21-अप्रैल-14	समेकित रु. 27,000/-	रु. 27,000/-
8	श्री चित्तरंजन साहू	छात्रावास पर्यवेक्षक	21-अप्रैल-14	समेकित रु. 27,000/-	रु. 27,000/-
9	श्री भूषण लाल बंछोर	कनिष्ठ सहायक	30-जून.-17	समेकित रु. 21,600/-	रु. 21,600/-
10	श्री शशिकांत साहू	कनिष्ठ सहायक	17- जुला.-17	समेकित रु. 21,000/-	रु. 21,000/-
11	सुश्री संचिता वर्मा	कनिष्ठ सहायक	18- जुला.-17	समेकित रु. 21,600/-	रु. 21,600/-
12	श्री प्रमोद कुमार मेहर	कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक	19- जुला.-17	समेकित रु. 21,200/-	रु. 21,200/-
13	सुश्री नेहा साहू	कनिष्ठ सहायक	04-अग.-17	समेकित रु. 20,000/-	रु. 20,000/-
14	श्री कुणाल कुमार वाल्डेकर	कनिष्ठ सहायक	08-अग.-17	समेकित रु. 20,000/-	रु. 20,000/-
15	सुश्री नेहा सिंह	कनिष्ठ सहायक	09-अक्टू.-17	समेकित रु. 20,000/-	रु. 20,000/-
16	श्री विवेक सिंह	कनिष्ठ सहायक	12-अक्टू.-17	समेकित रु. 20,000/-	रु. 20,000/-
17	श्री राकेश साहू	कनिष्ठ सहायक	01-नवं.-17	समेकित रु. 20,000/-	रु. 20,000/-

11. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी), का उपखंड (xi)

प्रत्येक विभाग की एजेंसियों को आवंटित बजट, सभी योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट दर्शाते हुए;

<http://iimraipur.ac.in/RTIDocument/Disclosure/Annexure-I.pdf>

12. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी), का उपखंड (xii)

सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है

<http://iimraipur.ac.in/RTIDocument/Disclosure/Annexure-I.pdf>

13. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी), का उपखंड (xiii)

विभाग द्वारा अनुमोदित रियायतों, परमिट या अधिकार प्राप्तकर्ताओं का विवरण

संस्थान की आय को धारा/ 10 23 सी (vi) के तहत छूट प्राप्त है

14. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी), का उपखंड (xiv)

विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध के संबंध में विवरण]

संस्थान के बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.iimraipur.ac.in पर उपलब्ध है

15. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी), का उपखंड (xv)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, पुस्तकालय या पठन कक्ष के कार्य समय सहित, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध है।

आईआईएम रायपुर में उपलब्ध सुविधाएं मुख्य रूप से इसके संकाय, छात्रों और कर्मचारियों के लिए हैं ये सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।

16. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी), का उपखंड (xvi)

लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विवरण

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के संदर्भ में, संस्थान के निम्नलिखित अधिकारी को, नाम के समक्ष उल्लिखित विशिष्ट विषय मामलों के संबंध में, जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) के रूप में नामित किया गया है:

नाम	पद	फोन नं.	ई-मेल	पता
-----	----	---------	-------	-----

		STD कोड-कार्यालय		
श्री प्रियांक मित्रा	<u>सीपीआईओ</u>	0771 -2474651	rti@iimraipur.ac.in	भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर, जीईसी परिसर, रायपुर -492015
प्रो. पीआरएस शर्मा	<u>प्रथम अपीलीय प्राधिकरण</u>	0771-2474621	prssarma@iimraipur.ac.in	भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर, जीईसी परिसर, रायपुर -492015

17. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी), का उपखंड (xvii)

अन्य उपयोगी जानकारी

जानकारी प्राप्त करने से संबंधित:

आवेदन: अंग्रेजी या हिंदी या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में मांगी गई जानकारी के विवरण सहित पीआईओ को लिखित में आवेदन करें। जानकारी प्राप्त करने का कारण देने की आवश्यकता नहीं है;

आवेदन शुल्क: धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध रु. 10 / - (केवल दस रुपये) के आवेदन शुल्क के साथ किया जाएगा। शुल्क का भुगतान नकद या भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर के पक्ष में "रायपुर में देय" उचित रसीद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या इंडियन पोस्टल आर्डर द्वारा किया जा सकता है।

सूचना के लिए शुल्क: धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क उचित नगद भुगतान की रसीद या संस्थान के लेखा अधिकारी को देय ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा निम्नलिखित दरों पर किया जाएगा:-

क) तैयार किए गए या छायाप्रति वाले प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के कागज) के लिए रु.2/- प्रति पृष्ठ;

ख) बड़े आकार के कागज के लिए छायाप्रति का वास्तविक मूल्य;

ग) नमूना या मॉडल के लिए मूल्य की वास्तविक लागत; तथा

घ) रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; और प्रत्येक बाद के घंटे के लिए रुपये पांच का शुल्क (या उसके अंश)।"

धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क उचित नगद भुगतान की रसीद या संस्थान के

लेखा अधिकारी को देय ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा निम्नलिखित दरों पर किया जाएगा:-

- क) डिस्क्रेट या फ्लॉपी में प्रदान की गई सूचना के लिए रु. 50 रुपये (केवल पचास रुपये) प्रति डिस्क्रेट या फ्लॉपी; तथा
- ख) मुद्रित रूप में प्रदान की गई जानकारी के लिए ऐसे प्रकाशन या कागज का निर्धारित मूल्य एवं प्रकाशन से निकाले गए पृष्ठ के लिए रु.2/- (केवल दो रुपये) प्रति पृष्ठ।

सूचना के लिए आवेदन पत्र

(हिंदी / अंग्रेजी में भरें)

सेवा में
जन सूचना अधिकारी,
आईआईएम रायपुर,
जीईसी परिसर,
रायपुर-492015

- आवेदक का विवरण:
 - आवेदक का पूरा नाम:.....
 - फोन नंबर / ईमेल के साथ पता:.....
- चाही गई सूचना का विवरण
 - सूचना का विषय:.....
 - चाही गई सूचना की अवधि:.....
 - चाही गई सूचना का विवरण.....
 - सूचना प्राप्त करने का तरीका डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से.....
- फॉर्म / प्रारूप जिसमें सूचना मांगी गई है:
 - फोटोकॉपी.....
 - फ्लॉपी/ सीडी, आदि,.....
 - रिकार्ड्स का निरीक्षण :.....
- क. क्या आवेदन रिकार्ड्स के निरीक्षण से संबंधित है?
 - हाँ/ नहीं.
 - यदि हाँ, आवेदक द्वारा प्रासंगिक रिकार्ड्स के निरीक्षण में लगने वाले दिनों की संख्या:
- क्या आप बीपीएल श्रेणी के हैं, क्या आपने इसका प्रमाण प्रस्तुत किया है। मैं कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा चाही गई जानकारी अधिनियम की धारा 6 में उल्लेखित प्रतिबंधों के तहत नहीं आती है और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार यह आपके कार्यालय से संबंधित है.....
- भुगतान किए गए शुल्क का विवरण.....

तिथि एवं स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

अस्वीकरण: हालांकि इसे यथासंभव प्रामाणिक बनाने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी "वेबसाइट" पर उपलब्ध सूचना में किसी भी कमी, दोष या अशुद्धि के कारण किसी भी व्यक्ति को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर जिम्मेदार नहीं होगा। कोई भी विसंगति पाये जाने पर भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के ध्यान में लाई जा सकती है।